न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 307/2016

1. गुरमेल सिंह पुत्र रूप सिंह
2. सीताराम पुत्र वीर सिंह
3. रतीराम पुत्र वीर सिंह

} जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया हाल आबाद लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. भूर सिंह पुत्र रामकिशन जाति अराई निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 28.03.2008 व 16.02.2013,

प्रकरण संख्या 69/43/2008

श्री देवीलाल भाम्भु, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओम प्रकाश मोदी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 11.08.2021

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 14.03.2008 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि चक 9 एन एस डब्ल्यू (हाल चक 10 एन एस डब्ल्यू) के पत्थर नम्बर 26/340 के किला नम्बर 1 से 11, पत्थर नम्बर 25/340 के किला नम्बर 12 से 19, 22 से 25, पत्थर नम्बर 26/340 के किला नम्बर 3 से 5 की कुल 22.12 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता से सरप्लस – अधिशेष कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी को दिनांक 31.12.2005 को आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि विशेष आवंटन में दर्ज हो गई थी जिसे विशेष आवंटन से डी नोटिफाई करवाना आवश्यक है। दिनांक 31.12.2005 के [illegible] पत्रावली रिकार्ड रूम हनुमानगढ़ में जमा हो गई है जिसे [illegible] में लिया [illegible]कर विशेष आवंटन की सूची से निकलवाया जाकर रक[illegible] प्रार्थी के [illegible] आवंटन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 07.03.2008 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् दिनांक 28.03.2008 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। इस दिन विवादित भूमि प्रार्थी को आवंटन करने के आदेश दिये एवं यह भी आदेश दिया कि विशेष आवंटन से रकबा डी नोटिफाई होने पर आवंटन आदेश जारी हो। रकबा डी नोटिफाई होने पर पत्रावली दिनांक 15.02.2013 को कमेटी के समक्ष पेश हुई एवं इस दिन आवंटन आदेश जारी करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए तथा जयमल सिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि जयमल सिंह के तीनों पुत्रों रामकिशन, रूपराम व वीर सिंह को रोही लुढाना में सन् 1955 से पूर्व एवं 1955 के बाद की कुल 100 बीघा भूमि थी। राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा. न. प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 के तहत 1955 के बाद की आरजी काश्त भूमि का आवंटन सम्बन्धित काश्तकार द्वारा धारित भूमि को शामिल करते हुए 25 बीघा की सीमा तक आवंटन हो सकती थी। इस विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रामकिशन को 13 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं शेष पत्थर नम्बर 26/340 के किला नम्बर 1 से 11, पत्थर नम्बर 25/340 के किला नम्बर 12 से 19, 22 से 25 की कुल 22.10 बीघा भूमि सरप्लस घोषित की गई। उक्त सरप्लस भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 बतौर बालिग पुत्र आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए उक्त 22.10 बीघा भूमि को दिनांक 31.05.2005 को आवंटन करवाने का पात्र घोषित करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 12.10.2010 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश कर रखी है जो अभी विचाराधीन है। निगरानी विचाराधीन होने का तथ्य रेस्पोडेंट को ज्ञात था फिर भी उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर [illegible] भूमि का आवंटन अपने नाम से करवा लिया। अपीलाधीन आदेश पारित [illegible] से पूर्व अपीलांट को न तो सुना गया और न ही पक्षकार बनाया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.03.2008 को प्रार्थना पत्र पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कथन किया था कि प्रार्थीगण को सुनकर निर्णय पारित किया जावे, किन्तु प्रार्थीगण को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

5. अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट के पिता की सरप्लस भूमि है जिसे रेस्पोडेंट बतौर बालिग पुत्र आवंटन करवाने का अधिकारी है। इसी आधार पर आवंटन किया गया है। अपीलांट का इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से एवं अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज होने योग्य से खारिज की जावे।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अपीलार्थीगण ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर जो कथन अंकित किये हैं उसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2008 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने रूपराम, रामकिशन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर सुनवाई हेतु अवसर चाहा था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण जयमल सिंह के उत्तराधिकारी है जिसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 28.03.2008 व 16.02.2013 के विरूद्ध दिनांक 14.03.2013 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका जवाब रेस्पोडेंट के वकील द्वारा पेश किया है, लेकिन जवाब के साथ कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

पक्षकार बनाये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 31.12.2005 को रेस्पोडेंट संख्या 1 को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र घोषित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 12.10.2010 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हुई, जो अभी तक विचाराधीन है जिसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विवादित भूमि का आवंटन अपने नाम से करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने रूपराम आदि द्वारा दिनांक 18.03.2008 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उन्हें सुनकर निर्णय पारित किया जावे, लेकिन फिर भी उन्हें बिना सुने आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2008, 15.02.2013 (आवंटन आदेश दिनांक 16.02.2013) निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर एवं माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

16/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:17 IST
Reason: SelfAttested